12. भारत में सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म्स के तीव्र प्रसार से संचार, शासन व्यवस्था और सामाजिक संपर्क में महत्त्वपूर्ण परिवर्तन हुए हैं। हालाँकि, किशोरों पर अत्यधिक सोशल मीडिया उपयोग के नकारात्मक प्रभाव-जैसे चिंता, अवसाद, साइबरबुलिंग और मिथ्या सूचना की प्राप्ति- को लेकर चिंताएँ बढ़ी हैं। हाल के अध्ययनों और वैश्विक नीति रुझानों ने इन जोखिमों को उजागर किया है, ऑस्ट्रेलिया जैसे देशों ने बच्चों को ऑनलाइन सुरक्षा प्रदान करने के लिये सख्त आयु-सत्यापन अधिनियम प्रवर्तित किये हैं। भारत में, सूचना प्रौद्योगिकी (मध्यवर्ती दिशा-निर्देश और डिजिटल मीडिया आचार संहिता) नियम, 2021 और डिजिटल वैयक्तिक डाटा संरक्षण, अधिनियम, 2023 जैसे विनियामक ढाँचों के माध्यम से अनुपालन और माता-पिता की सहमति की आवश्यकताएँ पेश की गई हैं, लेकिन प्रवर्तन और गोपनीयता चुनौतियाँ बनी हुई हैं।

एक संसदीय समिति ने सोशल मीडिया पहुँच के लिये अनिवार्य आयु-सत्यापन और नाबालिगों के लिये समय-सीमा जैसी कड़ी व्यवस्थाओं की सिफारिश की है। नागरिक समाज समूह और अभिभावक किशोरों की मानसिक स्वास्थ्य समस्याओं और ऑनलाइन उत्पीड़न के बढ़ते मामलों के चलते कड़े सुरक्षा उपायों का समर्थन करते हैं। वहीं, डिजिटल अधिकार कार्यकर्ता चेतावनी देते हैं कि ऐसी व्यवस्थाएँ गोपनीयता का उल्लंघन कर सकती हैं, डेटा का दुरुपयोग हो सकता है और जिन किशोरों के पास सरकारी पहचान पत्र नहीं है, वे इन प्लेटफॉर्म्स से वंचित रह सकते हैं। सोशल मीडिया कंपनियों का तर्क है अत्यधिक कड़े नियम डिजिटल नवाचार और अभिव्यक्ति की स्वतंत्रता को बाधित कर सकते हैं।

आप इलेक्ट्रॉनिकी एवं सूचना प्रौद्योगिकी मंत्रालय में एक वरिष्ठ अधिकारी हैं, जिसे किशोरों की सोशल मीडिया सुरक्षा के लिये- विभिन्न नैतिक, विधिक और व्यावहारिक पहलुओं का संतुलन रखते हुए- नई नीति तैयार करने का दायित्व सौंपा गया है। (250 शब्द) 20

The rapid proliferation of social media platforms in India has transformed communication, governance, and social interaction. However, concerns have grown about the negative impact of excessive social media use on adolescents, including increased anxiety, depression, cyberbullying, and exposure to misinformation. Recent studies and global policy trends highlight these risks, with countries like Australia introducing strict age-verification laws to protect children online. In India, regulatory frameworks such as the Information Technology (Intermediary Guidelines and Digital Media Ethics Code) Rules, 2021, and the Digital Personal Data Protection Act, 2023, have introduced compliance and parental consent requirements, but enforcement and privacy challenges persist.

A parliamentary committee has recommended stricter measures, including mandatory age verification for social media access and time restrictions for minors. Civil society groups and parents support stronger protections, citing rising cases of mental health issues and online harassment among teenagers. However, digital rights activists warn that such measures could infringe on privacy, lead to data misuse, and exclude marginalized youth who lack access to official identification. Social media companies argue that overly stringent regulations may stifle digital innovation and free expression.

You are a senior official in the Ministry of Electronics & Information Technology tasked with drafting a new policy to address adolescent safety on social media while balancing competing ethical, legal, and practical considerations. (250 words) 20

(a) भारत में किशोरों की सोशल मीडिया पहुँच को विनियमित करने में शामिल प्रमुख नैतिक दुविधाओं की पहचान कर उनकी विवेचना कीजिये।
Identify and discuss the key ethical dilemmas involved in regulating adolescent access to social media in India.

(b) इस संदर्भ में आपके निर्णयन में किन मूल्यों और सिद्धांतों का मार्गदर्शन होना चाहिये?
What values and principles should guide your decision-making in this context?

(c) एक ऐसी संतुलित नीति दृष्टिकोण का सुझाव दीजिये जिससे गोपनीयता या डिजिटल अधिकारों का अनुचित उल्लंघन किये बिना किशोरों के मानसिक स्वास्थ्य और सुरक्षा संबंधी समस्याओं का निवारण किया जा सके।
Suggest a balanced policy approach that addresses adolescent mental health and safety without unduly infringing on privacy or digital rights.

(d) आप नीति निर्माण प्रक्रिया में पारदर्शिता, उत्तरदायित्व और हितधारकों की सहभागिता किस प्रकार सुनिश्चित करेंगे?

उम्मीदवार
हाशिये में
चाहिये।
(Candida
write on

उपर्युक्त केस स्टडी में सोशल मीडिया के उपयोग से नैतिक चिंताएं यथा गोपनीयता, साइबर अपराध, विनियमकीय आदि समस्याओं का जिक्र किया है।

विभिन्न हितधारक

- मं (MeitY) के वरिष्ठ अधिकारी के रूप में
- किशोर
  - सोशल मीडिया कंपनियाँ
- अभिभावक
  - नागरिक समाज
- सरकार
- डिजिटल अधिकार कार्यकर्ता

(a) सोशल मीडिया पहुँच को विनियमित करने से जुड़ी नैतिक दुविधा।

(1) → पारदर्शिता बनाम गोपनीयता :- सूचनाओं को एक पब्लिक डोमेन में रखा जाए या फिर निजता के लिए गोपनीय रखा जाए।

(2) सरकारी नियंत्रण बनाम ~~व्यक्ति की~~ अभिव्यक्ति की आजादी (अनु.19(1)) :- लोक व्यवस्था के हित में सरकारी नियंत्रण आवश्यक है अथवा या 19(1)(a) का हिस्सा है।

(3) पूर्णतावाद बनाम नैतिकता — पूर्ण विचार मुक्त विकास को बढ़ावा दिया जाए या नैतिकता के नाम पर इस पर प्रतिबंध लगाया जाए।

(1) परिणाम निरपेक्षवाद बनाम परिणाम सापेक्षवाद

↳ सोशल मीडिया के प्रभाव पर ध्यान दिया जाए या उपकारी उपायों पर।

(b) मार्गदर्शक मूल्य व सिद्धांत :-

↳ (1) निजता की सुरक्षा :- जस्टिस पुट्टस्वामी वाद 2017 में यह अनुच्छेद 21 का हिस्सा

↳ (2) वंचित वर्ग के अधिकारों की सुरक्षा - किशोरों को वंचित वर्ग की श्रेणी में शामिल किया जाता है।

↳ (3) समानुभूति :- किशोरों तथा साइबर अपराधियों व सोशल मीडिया संचालकों की मनोस्थिति समझकर नीति निर्माण आवश्यक।

(4) भावात्मक बुद्धिमत्ता का दक्ष उपयोग :- किसी भी नीति निर्माण की सफलता हेतु आवश्यक।

(5) वस्तुनिष्ठता :- पूर्वाग्रह से मुक्त होकर ऐसी नीति का निर्माण जो सभी के हित में हो।

(c) → उपयुक्त नीति व दृष्टिकोण के आयाम :-

(1) सोशल मीडिया प्लेटफार्म के स्वविनियमन की व्यवस्था (IT विनियम - 2021)

उम्मीदवार को हाशिये में नहीं ... चाहिये।
(Candidate m... write on this m...

(2.) सोशल मीडिया उपयोग मे 'Right to be forgotten' के सिद्धांत की स्वीकृति।

(3.) आवश्यक होने पर कन्टेंट को हटाने की व्यवस्था (DPDP Act 2023)।

(4.) आयु संबंधित सत्यापन के प्रावधान की अनिवार्यता (आस्ट्रेलियाई विधि)।

(5) साईबर अपराध के विरुद्ध कठोर कार्यवाई (IT Act 2000 की धारा, 66)।

(6.) किशोरो में डिजिटल साक्षरता को बढ़ाने का प्रयास (अनुनयन)

(d) नीतिनिर्माण में पारदर्शिता, उत्तरदायित्व और हितधारको की सहभागिता सुनिश्चित करने के उपाय –

(1) पारदर्शिता :- सोशल मीडिया कंपनियों को सूचना के ~~स्पष्टीकरण~~ हेतु अनुनयन करना। स्पष्टीकरण

↳ स्वनियमन तंत्र के कार्यप्रणाली को दक्ष बनाना।

↳ गोपनीयता तथा सार्वजनिक जीवन के बीच आवश्यक सन्तुलन बनाना।

↳ किशोरो में सत्यनिष्ठा संबंधित चेतना का विकास करना।

(2) उत्तरदायित्व :- ई-ट्रैकिंग प्रणाली का उपयोग (राजस्थान का 'राज काज')।

↳ सूचना का निष्पक्ष परीक्षण।

↳ पारदर्शिता व जवाबदेहिता को सुनिश्चित करना।

(3) हितधारकों की सहभागिता

↳ विधि का शासन स्थापित करना।

↳ कल्याणकारी नीति निर्माण।

↳ भावनात्मक बुद्धिमत्ता का दक्ष उपयोग।

↳ भागीदारी मूलक नीति निर्माण प्रक्रिया।

अमरजीत वाद 2025 में SC ने डिजिटल सुविधाओं तक पहुंच को अनु. 21 का हिस्सा माना है और इस रूप में इसकी सुरक्षा आवश्यक है।